उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-90/2020/1275 /92-2-20-111जांच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 14 जुलाई 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जॉच आख्या दिनांक 10-07-2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति/अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-129/2018/2222/92-2-18-111जांच/2018 दि0 23-08-2018 द्वारा हेतु श्री एस0 पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-अयोध्या (फैजाबाद) को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता,परि0-अयोध्या के पत्र सं0-2954/ग्रा0अ0वि0/जांच-सहा0अभि0/पत्रा0सं0-4/19-20 दि0 06-11-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 05 आरोपो में से आरोप सं0-1 व 3 आंशिक रूप से तथा आरोप सं0-2, 4 व 5 पूर्णरूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्रसं0-2615/92-2-19-111जांच/16 दि0 22-11-19 द्वारा श्री एस0पी0 राव से अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके दिनांक रहित पत्र के माध्यम से शासन में दि0 16-03-2020 को प्राप्त हुआ। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अभ्यावेदन का विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम शिवदासपुर ग्रन्ट के कार्यो की तकनीकी जॉच प्राविधिक परीक्षक द्वारा दि0 03-04-2018 एवं 04-04-2018 को की गयी जिसमें अनुबंधित कार्य में निरीक्षित गलियों में सी0सी0 एवं पेवमेंट व नाली के नीचे किये गये बेस कंक्रीट की स्ट्रेन्थ कम पाये जाने, नाली ब्रिक वर्क के ऊपर सी0सी0 मोटाई कम पाये जाने के कारण परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 33.084.00 के अंश रू0 4,135.00 के लिये श्री एस0पी0 राव को उत्तरदायी पाया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

टी0ए0सी0 द्वारा कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी न करते हुये शासकीय क्षति आंकलित की गयी है जबकि रसायनिक परीक्षण में अव्ययों का अनुपात सही पाया गया है। दृष्टि परीक्षण के आधार पर आंकलित शासकीय क्षति स्वीकार योग्य नही है तथा प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति शासनादेश दिनांक 14-07-2009 के अनुक्रम में सहिष्णुता सीमा के अंदर आने के दृष्टिगत आरोप मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जांच अधिकारी की विवेचना/निष्कर्ष

अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री एस0पी0 राव पर शिथिल नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणीय दायित्व के लिये आरोप आंशिक रूप से स्थापित होना पाया गया है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी को पूर्व में दिये गये बचाव उत्तर के अतिरिक्त अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत निर्माण कार्यो में उनके विरूद्व परिलक्षित शासकीय क्षति राजकोष में जमा कर दी गयी है तथा प्रकरण में अंतर्ग्रस्त अवर अभियंता के विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में निदेशक एवं मुख्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभियंता के आदेश दिनांक 03-12-2019 द्वारा शासकीय क्षति सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत पाये जाने के आधार पर बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिया गया है। उक्त को संज्ञान में रखते हुये उनके प्रकरण पर भी विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आरोप संख्या-2

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम अछौरा के कार्यो की तकनीकी जॉच प्राविधिक परीक्षक द्वारा दि0 03-04-2018 एवं 04-04-2018 को की गयी जिसमें अनुबंधित कार्य में निरीक्षित गलियों में सी0सी0 एवं पेवमेंट व नाली के नीचे किये गये बेस कंक्रीट की स्ट्रेन्थ कम पाये जाने, नाली ब्रिक वर्क के ऊपर सी0सी0 मोटाई कम पाये जाने के कारण परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 55,244.00 के अंश रू0 3,432.00 के लिये श्री एस0पी0 राव को उत्तरदायी पाया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि टी0ए0सी0 द्वारा कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी न करते हुये शासकीय क्षति आंकलित की गयी है जबकि रसायनिक परीक्षण में अव्ययों का अनुपात सही पाया गया है। दृष्टि परीक्षण के आधार पर आंकलित शासकीय क्षति स्वीकार योग्य नही है तथा प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति को शासनादेश दिनांक 14-07-2009 के अनुक्रम में सहिष्णुता सीमा के अंदर मनाने योग्य उल्लिखित करते हुये उन्हें दोष मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जांच अधिकारी की विवेचना/निष्कर्ष

अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री एस0पी0 राव को आरोप हेतु उत्तरदायी बताया गया है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी को पूर्व में दिये गये बचाव उत्तर के अतिरिक्त अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत निर्माण कार्यो में उनके विरूद्व परिलक्षित शासकीय क्षति राजकोष में जमा कर दी गयी है तथा प्रकरण में अंतर्ग्रस्त अवर अभियंता के विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में निदेशक एवं मुख्य अभियंता के आदेश दि0 04-12-2019 द्वारा शासकीय क्षति सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत पाये जाने के आधार पर बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिया गया है। उक्त को संज्ञान में रखते हुये उनके प्रकरण पर भी विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आरोप संख्या-3

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम धन्नीपुर के कार्यो की तकनीकी जॉच प्राविधिक परीक्षक द्वारा दि0 03-04-2018 एवं 04-04-2018 को की गयी जिसमें अनुबंधित कार्य में निरीक्षित गलियों में सी0सी0, पेवमेंट व बेस कंक्रीट की स्ट्रेन्थ/मोटाई कम पाये जाने के कारण परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 30,304.00 के अंश रू0 530.00 के लिये श्री एस0पी0 राव को उत्तरदायी पाया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि टी0ए0सी0 द्वारा कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी न करते हुये शासकीय क्षति आंकलित की गयी है, जबकि रसायनिक परीक्षण में अवयवों का अनुपात सही पाया गया है। दृष्टि परीक्षण के आधार पर आंकलित शासकीय क्षति स्वीकार योग्य नही है तथा प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति को शासनादेश दिनांक 14-07-2009 के अनुक्रम में सहिष्णुता सीमा के अंदर आने के दृष्टिगत आरोप मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जांच अधिकारी की विवेचना/निष्कर्ष

अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री एस0पी0 राव को आरोप हेतु आंशिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी को पूर्व में दिये गये बचाव उत्तर के अतिरिक्त अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत निर्माण कार्यो में उनके विरूद्व परिलक्षित शासकीय क्षति राजकोष में जमा कर दी गयी है। उक्त को संज्ञान में रखते हुये इनके प्रकरण पर भी विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आरोप संख्या-4

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम बढैला के कार्यो की तकनीकी जॉच प्राविधिक परीक्षक द्वारा दि0 03-04-2018 एवं 04-04-2018 को की गयी जिसमें अनुबंधित कार्य में निरीक्षित गलियों में सी0सी0 एवं पेवमेंट व नाली के नीचे किये गये बेस कंक्रीट की स्ट्रेन्थ कम पाये जाने, नाली ब्रिक वर्क के ऊपर सी0सी0 मोटाई कम पाये जाने के कारण परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 26,696.00 के अंश रू0 3,337.00 के लिये श्री एस0पी0 राव को उत्तरदायी पाया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि टी0ए0सी0 द्वारा कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी न करते हुये शासकीय क्षति आंकलित की गयी है जबकि रसायनिक परीक्षण में अवयवों का अनुपात सही पाया गया है। दृष्टि परीक्षण के आधार पर आंकलित शासकीय क्षति स्वीकार योग्य नही है तथा प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति को शासनादेश दिनांक 14-07-2009 के अनुक्रम में सहिष्णुता सीमा के अंदर आने के दृष्टिगत आरोप मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जांच अधिकारी की विवेचना/निष्कर्ष

अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री एस0पी0 राव को आरोप हेतु उत्तरदायी बताया गया है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी को पूर्व में दिये गये बचाव उत्तर के अतिरिक्त अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत निर्माण कार्यो में उनके विरूद्व परिलक्षित शासकीय क्षति राजकोष में जमा कर दिया गया है तथा प्रकरण में अंतर्ग्रस्त अवर अभियंता के विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में निदेशक एवं मुख्य अभियंता के आदेश दि0 04-12-2019 द्वारा शासकीय क्षति सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत पाये जाने के आधार पर समाप्त कर दिया गया है। उक्त को संज्ञान में रखते हुये उनके प्रकरण पर भी विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आरोप संख्या-5

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम टाण्डा खुलासा के कतिपय कार्यो की तकनीकी जॉच प्राविधिक परीक्षक द्वारा दि0 03-04-2018 एवं 04-04-2018 को की गयी जिसमें अनुबंधित कार्य में निरीक्षित गलियों में सी0सी0 एवं पेवमेंट व नाली के नीचे किये गये बेस कंक्रीट की स्ट्रेन्थ कम पाये जाने, नाली ब्रिक वर्क के ऊपर सी0सी0 मोटाई कम पाये जाने के कारण परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 1,56,224.00 के अंश रू0 19,528.00 के लिये श्री एस0पी0 राव को उत्तरदायी पाया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि टी0ए0सी0 द्वारा कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी न करते हुये शासकीय क्षति आंकलित की गयी है जबकि रसायनिक परीक्षण में अवयवों का अनुपात सही पाया गया है। दृष्टि परीक्षण के आधार पर आंकलित शासकीय क्षति स्वीकार योग्य नही है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति को शासनादेश दिनांक 14-07-2009 के अनुक्रम में सहिष्णुता सीमा के अंदर आने के दृष्टिगत आरोप मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जांच अधिकारी की विवेचना/निष्कर्ष

अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री एस0पी0 राव को आरोप हेतु उत्तरदायी बताया गया है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी को पूर्व में दिये गये बचाव उत्तर के अतिरिक्त अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत निर्माण कार्यो में उनके विरूद्व परिलक्षित शासकीय क्षति राजकोष में जमा कर दी गयी है। उक्त को संज्ञान में रखते हुये इनके प्रकरण पर भी विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति के राजकोष में जमा हो चुकी है, परन्तु अपचारी अधिकारी को कार्यो में कारित शासकीय क्षति के दृष्टिगत अपने अधीनस्थो पर शिथिल नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वाहन न करने के लिये उत्तरदायी पाया गया है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23-08-2018 द्वारा श्री एस0 पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"जनपद-अयोध्या में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम शिवदासपुर ग्रन्ट, ग्राम अछौरा, ग्राम धन्नीपुर, ग्राम बढैला एवं ग्राम टाण्डा खुलासा में कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओ की टी0ए0सी0 जॉच में परिलक्षित शासकीय क्षति के क्रम में अपने अधीनस्थों व कार्यो पर शिथिल नियंत्रण/पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न करने के लिये श्री एस0पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई को वर्ष 2020-21 के लिये "परिनिन्दा प्रविष्टि" प्रदान की जाती है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-90/2020/1275(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री एस0 पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in